

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

(निविदा सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, गोरखपुर परिसर स्थित स्टाफ कैंटीन (ए.डी.आर. भवन) की नीलामी प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए दिनांक 30.09.2026 को न्यायालय परिसर स्थित सभागार में सायंकाल 4.30 बजे होना नियत की जाती है। उक्त हेतु केन्द्रीय नजारत अनुभाग, गोरखपुर में दिनांक 29.09.2026 को शाम 05.00 बजे तक निविदा जमा की जा सकती है।

नीलामी प्रक्रिया की नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य-दिवस को प्राप्त की जा सकती है। दिनांक 30.09.2026 को सम्पन्न होने वाली निविदा में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु जनपद मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों एवं प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाये।


(चन्द्र मणि मिश्र)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
गोरखपुर।

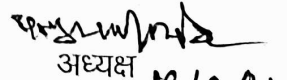
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. नाजिर आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3. नाजिर तहसील सदर, गोरखपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6. सूचना पट्ट दीवानी न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
7. सिस्टम अधिकारी दीवानी न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर

जनपद न्यायालय, गोरखपुर परिसर स्थित स्टाफ कैटीन (ए.डी.आर भवन के बगल में) की निविदा प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि हेतु निविदा की नियम व शर्तें

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय, गोरखपुर स्थित स्टाफ कैटीन (ए.डी.आर भवन के बगल में) में दिनांक 29.09.2026 के सांयकाल 5:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। नियत तिथि के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. सभी प्राप्त निविदाओं को दिनांक 30.09.2026 को सांयकाल 4:30 बजे समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खुलने के समय फर्म अपने अधिकृत व्यक्ति को भेज सकती है।
3. निविदाएं किसी भी कार्य दिवस पर केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
4. निविदा जमा करते समय फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में मुव0 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा।
5. धरोहर धनराशि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के पैरा 71 के अनुसार राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक के मियादी जमा रसीदों, बैंक जमा रसीदों इत्यादि के रूप में जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर के पक्ष में अथवा नगद रूप में नियत तिथि तक केन्द्रीय नजारत में जमा किया जा सकता है।
6. निविदा स्वीकृत न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि अगले कार्यदिवस पर वापस कर दी जायेगी।
7. निविदाएं किसी भी दशा में दिनांक 29.09.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, गोरखपुर का ही होगा।
9. निविदा की नियम व शर्तें किसी भी कार्यदिवस पर केन्द्रीय नजारत से अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur> पर प्राप्त की जा सकती है।


अध्यक्ष
नीलामी समिति

अपर जनपद न्यायाधीश
गोरखपुर।